

08/HP/2014/RO

02/04/2014

02:48 P.M.

प्रारूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति

का नाम उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम

सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग

सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 27 बॉका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम दीपक कुमार

पिता/माता/पति का नाम बसुदेव सिंह

उसका डाक पता शांति विही पो डाहाकपुर थाबा गांव गजर, जिला भाजलपुर

उसका नाम 26 भाजलपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

158 गांधी गजर
*(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 52 में क्रम संख्यांक 615

पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	157 सुलतानगंज	63	191	अजयदीप सिंह मंगलनीदास		2-04-2014
2.	157 सुलतानगंज	63	1162	जितेंद्र सिंह जितेन्द्रसिंह		2-04-2014
3.	157 सुलतानगंज	80	778	प्रो. साहू महेश साहू		2/4/14
4.	163 बैलहर	95	801	ओम प्रकाश पंडित	ओम प्रकाश पंडित	2-4-14
5.	163 बैलहर	92	158	अर्जुन पाल	अर्जुन पाल	2-4-14
6.	157 सुलतानगंज	63	147	प्रभुदास	प्रभुदास	2-4-14
7.	157 सुलतानगंज	63	59	गोरेशदास	गोरेशदास	2-4-14
8.	157 सुलतानगंज	63	112	रामविलासदास	रामविलासदास	2-4-14
9.	157 सुलतानगंज	69	336	उपेन्द्र मांझी	उपेन्द्र मांझी	2-4-14
10.	157 सुलतानगंज	69	831	रामविलास मांझी	रामविलास मांझी	2-4-14

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में मुझे दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) उलास (ii) उलास (iii) उलास है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो मुझे राज्य के उस राज्य में के मुझे (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 2.04.2014

दीपक कुमार
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "मे सम्बंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू, कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होता।

कृपया ध्यान दें - "मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं

अधिसूचना सं० का०आ० ९३५(अ), तारीख ३ सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित।

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे
दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक शुभम्

- (ii) पुलिस थाना

(थाने) शुभम् जिला (जिले) शुभम् राज्य शुभम्

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शुभम्

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ शुभम्

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल
किए गए थे शुभम्

(x) क्या उक्त अपील (अपील)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं

(xii) यदि उक्त अपील (अपील)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)

स्थान : लौका

तारीख : 2.04.2014

दीपक कुमार
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 08

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 2.4.2014 (तारीख) को 2.48 P.M. (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थार्पक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 2.4.2014

24/4
निर्वाची पदाधिकारी
27-अका. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग आफिसर,

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटर्निंग आफिसर,

(छिद्रण)

*लानू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 08 का, जो 27-~~बोंका~~ संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 2.4.2014 (तारीख)
को 2.48 P.m. (बजे) * अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा
7.4.2014 (तारीख) को 11.00 A.m. (बजे) ^{निर्वाची पदाधिकारी} ~~27-बोंका संसदीय~~ (स्थान) में की जाएगी।
~~निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय वे.प.~~

तारीख 2.4.2014

निर्वाची पदाधिकारी
27-बोंका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
रिटनिंग आफिसर

शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

एक प्रतियापक
दीपक कुमार
3/4/14

"प्ररूप 26"
(नियम 4 क देखिए)



.....²⁷ बौका निर्वाचन क्षेत्र
से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं दीपक कुमार ** पुत्र/पुत्री/पत्नी अक्षदेव सिंह आयु 35
वर्ष, जो गांव - डिउही पो बाराजादपुर, थाना बाथवाड़ा

जिला - भागलपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता
हूं/करती हूं :-

(1) मैं लोकसभा क्षेत्र से ऑफ-डिपेंडेंसी (कम्प्युनिटर)
अभ्यर्थी / ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 158 बाथवाड़ा विधानसभा क्षेत्र (भागलपुर लोकसभा क्षेत्र)
के क्रम सं० 615 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 09472463972 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो
तो) deepakkumar.singh@gmail.com है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
2	पति या पत्नी	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
3	आश्रित-1	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
4	आश्रित-2	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध
5	आश्रित-3	शुन्ध	शुन्ध	शुन्ध



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय में संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुन
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि है, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शुन

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं।

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरणी दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रितों का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नगदी	1365	500000			
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	Bank of India A/c No. 461510/100002646 959000 SBIAK A/c No. 30218309835 4056500	शुन	शुन	शुन	शुन
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन



	और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि करने का वर्ष और रकम)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रसं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(ii)	गर कृषि भूमि : अवस्थित (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्



	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)



क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	कोई अन्य दायित्व	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	आय-कर शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	धनकर शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	सेवाकर शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	विक्रयकर शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	कोई अन्य शोध्य	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
(iii)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और इस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लपित है का वर्णन करें।	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्



प्रति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं पंडित देवनाथ झा नौकरी-

(ख) प्रति या पत्नी सुखी-

(ग) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

आई. एड. इंग्लिश कॉलेज, जमानपुरा
जमानपुरा सिविल विद्यालय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु0 दीपक कुमार
2	डाक का पता	ग्राम दिवधी, पो. बरहमा, प्र. थाना-बाधुआ, जि. भावल
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	27 बाँका, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	लो. प्र. लि. 2 युनिटी सेन्ट्र ऑफ इण्डिया (कम्युनि
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शुन
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शुन
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन
7		शुन का स्थायी लेखा सं० वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शुन शुन शुन
	(ख) पति या पत्नी	शुन शुन शुन
	(ग) आश्रित	शुन शुन शुन



8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)						
	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		86589000	46000000	शुन	शुन	शुन
ख	स्थावर आस्तियां						
	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण (यदि लागू हो)	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासत आस्तियां (कुल मूल्य)	2500000000	शुन	शुन	शुन	शुन
9		दायित्व	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन



11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :
	अर्हो ए
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 2.04.2014 को सत्यापित किया गया।

दीपक कुमार
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य या लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/ हैं 09472463872

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है deepakumarsuci@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 9934452702

